

अधिसूचना संख्या 196/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1983(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ 2545(ई) दिनांक 6.10.2009 द्वारा, केन्द्र सरकार ने क्रम संख्या 11 पर, "आरईएडीएस - ग्रामीण शिक्षा और विकास सोसाइटी, 31/34, अलागिरी सेंट, चेतपेट (पोलूर), तिरुवन्नामलाई जिला, पिन - 606801" द्वारा "वाटरशेड परियोजना" को 69.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था और जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ 1927(ई) दिनांक 31 जुलाई, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के छह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए निर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा "वाटरशेड परियोजना" योजना या परियोजना को, जिसे "आरईएडीएस- ग्रामीण शिक्षा और विकास सोसाइटी, 31/34, अलागिरी सेंट, चेतपेट (पोलूर), तिरुवन्नामलाई जिला, पिन - 606801" द्वारा अनुमोदित लागत 69.50 लाख रुपये में किसी भी परिवर्तन के बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए अधिसूचित करती है।

■ ■